विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

–:: विज्ञप्ती ::–

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के मानदण्डानूसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से आवश्यकता रहने तक अधिक सत्रांत तक जो भी पूर्ववर्ती हो उसके लिये नितांत अस्थाई आधार पर निम्नांकित विषयों में विजिटिंग विद्वानों की आवश्यकता है। आवेदन दिनांक 23/11/2022 दोपहर 1 बजे तक कुलसचिव विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के नाम से संबंधित अध्ययनशाला को प्रेषित करें।

आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। आवेदन के साथ 500/– (अक्षरी रूपये पाँच सौ) मात्र का आवेदन शुल्क डी.डी. जो कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के पक्ष में अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रक्रम में किसी भी परिस्थिति में कुलसचिव का आदेश अन्तिम रूप से प्रभावी एवं मान्य होगा।

क्र.	विषय	अनुमानित आवश्यकता	अध्ययनशाला
1.	तत्वविमर्श, प्रमाण सिद्धांत, अद्वेत भारत	01	भारत अध्ययन केन्द्र
2.	संस्कृत परिचय, तंत्र युक्ति	01	भारत अध्ययन केन्द्र

Online

कुलसचिव

VIKRAM UNIVERSITY, UJJAIN

APPLICATION

FOR CONSIDERATION AS VISITING SCHOLAR SESSION 2022-23 ~~2021-22~~

1. Subject for which application is being submitted
2. Name and Date of Birth
3. Father's/Husband's Name
4. Mailing/Postal Address
5. Phone No./Mobile Phone No.
6. E-Mail ID
7. Educational Qualification (From X & class and on words)

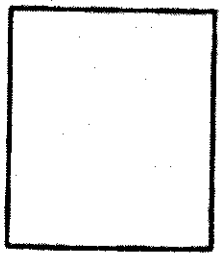

S.No.	Qualification	Pass Year	Pass % (Grade)	Board Uviversity	Institute College
1.	X Class				
2.	XII Class				
3.	Graduation				
4.	Post Graduation				
5.	M.Phil.				
6.	Ph.D.				
7.	NET				
8.	SLAT				
9.	JRF/SRF				
10.	Others				

8. Details of work experience (Designation, Employers, Duration etc)

(a)

(b)

(c)

(d)

9. Details of Research Publications :

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

10. Details of Participation in workshops/seminars/symposiums/Refresher course/orientation course/ other academic events. (Attech Details if any)

11. Any other Relevant Information :

Place :
Date :

(Signature)
Name :
Address :

सामान्य निर्देश

1. संबंधित पदो पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं म.प्र. शासन अनुसार रहेगी।
2. विजिटिंग विद्वान किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएंगे।
3. विजिटिंग विद्वानो का आमंत्रण पाठ्यक्रम मे आवश्यकता रहने तक अथवा सत्रांत तक जो भी पूर्ववर्ती हो, अवधि के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
4. विजिटिंग विद्वानो के आमंत्रण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय मे कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। इसके लिए विजिटिंग विद्वान को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नही है। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उसको व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
5. विजिटिंग विद्वान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त एक साथ दो शिक्षण संस्थानो मे अध्यापन कार्य नही कर सकेगा।
6. इस आदेश के अनुसार आमंत्रण की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयो के निर्देशों के अध्यधीन होगी।
7. किसी भी स्थिति मे नियमित पदस्थापना या नवीन नियुक्ति से पदस्थापना के कारण विजिटिंग विद्वान को कार्यरत नही रखा जाएगा।

अर्हता मानदण्ड :

चयन वरीयता का श्रेणी क्रम निम्नानुसार रहेगा :

1. संबंधित विषय में पीएच.डी. एवं नेट/सेट
2. संबंधित विषय में पीएच.डी. अथवा नेट/सेट
3. संबंधित विषय मे एम.फिल.
4. न्यूनतम अर्हता वाले आवेदक (स्नातकोत्तर योग्यताधारी)

टीप : 1 एवं 2 में आवेदक उपलब्ध न होने पर ही 3 व 4 के आवेदकों पर विचार किया जावेगा।

8. अनुभव हेतु अंक :– विजिटिंग विद्वानो को वरीयता देने के लिए उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज एवं सत्यापित अनुभव के किये गये अध्यापन कार्य के लिए देय अधिभार अंको को जोडकर गणना में लिया जाएगा। ये अंक आवेदक विजिटिंग विद्वान द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर दर्ज किय जाएंगे, जिन्हें असत्य पाए जाने पर कार्यारंभ नहीं कराया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिए जोडा जाएगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि विक्रम विश्वविद्यालय मे किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव को ही अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा। यह अधिभार अधिकतम 05 वर्ष के अनुभव के लिए 20 अंक तक होगा। एक अकादमिक सत्र में 151 से 220 कालखण्ड में मध्य चार अंक एवं 151–100 कालखण्ड के मध्य तीन अंक 51 से 100 कालखण्ड के मध्य दो अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जाएगा।
9. समस्त श्रेणियों के आमंत्रण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोडकर) शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा। इसी प्रकार निःशक्तजन अभ्यर्थियों को भी स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक प्रतिशत का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाएगा।
10. मेरिट अंको की गणना : स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत में से 50 घटाया जाएगा तथा अधिभार जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है, अनुसूचित जाति का है, निःशक्तजन भी है एवं 5 वर्षों का अनुभव है, तो उसके मेरिट अंक निम्नानुसार होगे : स्नातकोत्तर–25 अंक, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए अधिकार 7.5, निःशक्तजन के लिए अधिकार–7.5, अनुभव का अधिभार–20 कुल अंक = 60+40 अंक साक्षात्कार=कुल 100 अंको के आधार पर मेरिट बनाई जावेगी।

11. वरीयता का निर्धारण : सर्वप्रथम बिन्दु 7 के अनुसार चयन श्रेणी की वरीयता मान्य होगी अर्थात श्रेणी 1 के विजिटिंग विद्वान को सर्वोच्च वरीयता होगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले विजिटिंग विद्वान को वरीयता दी जाएगी। मेरिट का निर्धारण 100 अंकों से होगा।

12. विजिटिंग विद्वानों की आमंत्रण पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।

13. अध्यापन कार्य करने वाले विद्वानों को प्रति कालांश 500/– का मानदेय दिया जाएगा। इनकी कार्य अवधि पाठ्यक्रम में आवश्यकता रहने अथवा सत्रांत तक जो भी पूर्वतर्ती हो रहेगी एवं उपस्थिति तथा संतोषप्रद कार्य करने पर प्रतिमाह निम्नानुसार मानदेय दिया जाएगा– (पाठ्यक्रम आवश्यकतानुसार प्रति कालांश रू. 500/– एक कार्य दिवस में अधिकतम रू. 1500)
मानदेय की गणना की विधि :
कुल मानदेय = संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति कालांशों की संख्या 500/–प्रति कालांश
एक से अधिक कालांश अध्यापन करने वाले विद्वान को न्यूनतम 05 घण्टे संबंधित विभाग, अध्ययनशाला संस्थान में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा एवं अध्यापन कार्य के अतिरिक्त विभाग प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य विभागीय कार्य सम्पन्न करना आवश्यक होगा।

14. विश्वविद्यालय में आमंत्रण के आधार पर कार्यरत विजिटिंग विद्वान यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उसका आमंत्रण स्वतः समाप्त माना जायेगा।

15. विजिटिंग विद्वान को सतत अनुशासन बनाए रखना होगा तथा अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

16. विजिटिंग विद्वानों द्वारा सम्पूर्ण सत्र में किए गए पठन–पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित विद्यार्थियों की विभिन्न विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के अर्जित अंकों विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन एवं विभाग प्रमुख के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

17. अध्ययनशाला में आमंत्रित विजिटिंग विद्वानों के अध्यापन कार्य संबंधी समस्त रिकार्ड अपने अधीन संधारित रखेंगे ताकि इसके मूल्यांकन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सके।

18. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ विभाग प्रमुख के निर्देशानुसार प्रशासकीय कार्य, अकादमिक एवं पाठ्येत्तरकार्यों यथा प्रवेश, परीक्षा छात्रों से संबंधित कार्य, योजनाओं का संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव आदि में विजिटिंग विद्वान सहयोग प्रदान करेंगे।

19. अध्यापन कार्य करने वाले एवं एक कालांश से अधिक विजिटिंग विद्वानों को विभाग में प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घण्टे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। विजिटिंग विद्वानों द्वारा प्रतिसप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त वे ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है। विभागाध्यक्ष द्वारा विजिटिंग विद्वानों की कक्षाओं/कार्यों की समय सारिणी इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि उपरोक्तानुसार उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

20. विजिटिंग विद्वानों के अभ्यावेदनों एवं न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के प्रकाश में विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

21. आवश्यकतानुसार इन निर्देशों की व्याख्या का अंतिम अधिकार कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को

क्रं.01 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन में बाह्य व्यक्तियों/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारी/बैंकर/विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स आदि से व्याख्यान हेतु पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में विचार।

:- उपर्युक्त विषय में प्रस्तुत है कि विश्वविद्यालय द्वारा उद्यमी विकास प्रकोष्ठ में बाह्य व्यक्तियों/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारियों/बैंकर आदि से व्याख्यान हेतु रू.500/-प्रति व्याख्यान मानदेय एवं रू. 100/- वाहन भत्ते के रूप में भुगतान की राशि सक्षम स्वीकृत द्वारा भुगतान की जाती रही है। एम.ए.मासकम्युनिकेशन में भी विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स से व्याख्यान करवाये गये है।

अतः उद्यमी विकास प्रकोष्ठ एवं एम.ए. मासकम्युनिकेशन पाठ्यक्रम में बाह्य व्यक्तियों/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारियों/बैंकर/विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स आदि से व्याख्यान हेतु रू. 500/-प्रति व्याख्यान मानदेय एवं रू. 100/- वाहन भत्ते के रूप में भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यपरिषद..के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

प :- निर्णय लिया गया कि, उद्यमी विकास प्रकोष्ठ एवं एम.ए. मासकम्युनिकेशन पाठ्यक्रम में बाह्य व्यक्तियों/अतिथियों/उद्यमी/शासकीय अधिकारियों/बैंकर/विषय विशेषज्ञ आउटसोर्स आदि से आवश्यक होने पर व्याख्यान हेतु रू. 500/-प्रति व्याख्यान मानदेय एवं रू. 100/- वाहन भत्ते के रूप में भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। (क्रियान्वयन - प्रशासन एवं लेखा विभाग)

उक्त आगामी कार्यवाही हेतु प्रशासन विभाग को